5143 The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 710]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 14, 2009/अग्रहायण 23, 1931

No. 710]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 14, 2009/AGRAHAYANA 23, 1931

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(ई. एम. सेल)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

केंद्रीय कार्यालय

अधिसुचना

मुम्बई, 5 नवम्बर, 2009

सं. फेमा 201/आरबी/2009

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2009

सा.का.नि. 895(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फोमा 25/2000-आरबी)में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातु:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009 कहलाएंगे ।
- (ii) ये विनियम 3 जून, 2008* से प्रभावी हो गये हैं, ऐसा माना जाएगा ।

2. विनियम 6 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियम, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फोमा 25/आरबी-2000) के विनियम 6 के उप-विनियम (ii) में "स्टॉक एक्सचेंज में सचीबद्ध" शब्द हटा दिये जाएंगे ।

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-वाल्यम-IV]

सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

- पाद टिप्पणी : 1. *प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के पर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
 - मूल विनियमावली 8 मई, 2000 के सं. सा.का.नि. 411(अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात् उसे निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किया
 - सा.का.नि. 756(अ) दिनांक 28-9-2000,
 - सा.का.नि. 264(अ) दिनांक 9-4-2002,
 - सा.का.नि. 579(अ) दिनांक 19-8-2002,
 - सा.का.नि. 222(अ) दिनांक 18-3-2003.
 - सा.का.नि. 532(अ) दिनांक 9-7-2003,
 - सा.का.नि. 880(अ) दिनांक 11~11~2003,
 - सा.का.नि. 881(अ) दिनांक 11-11-2003,
 - सा.का.नि. 750(अ) दिनांक 28-12-2005,
 - सा.का.नि. 222(अ) दिनांक 19-4-2006,
 - सा.का.नि. 223(अ) दिनांक 19-4-2006, 10.
 - सा.का.नि. 760(अ) दिनांक 7-12-2006, सा.का.नि. 577(अ) दिनांक 5-8-2008, तथा 12.
 - सा.का.नि. 440(अ) दिनांक 23-6-2009.

4572 GI/2009

11.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(E. M. Section)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)
CENTRAL OFFICE

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th November, 2009

No. FEMA 201/RB-2009

Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts)

(Second Amendment) Regulations, 2009.

G.S.R. 895(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000), namely:—

1. Short Title and Commencement:

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Second Amendment) Regulations, 2009.
- (ii) They shall be deemed to have come into effect from the 3rd day of June, 2008@.
- 2. Amendment of Regulation 6—In the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000), in Regulation 6, in

sub-regulation (ii), the words "and listed on a recognised stock exchange" shall be omitted.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol.IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-Charge

Footnote:

- 1. @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.
- 2. The Principal regulations were published in the Official Gazette vide No. GSR 411(E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide No.—
- 1. G.S.R. 756(E) dt. 28-9-2000,
- 2. G.S.R. 264(E) dt. 9-4-2002,
- 3. G.S.R. 579(E) dt. 19-8-2002,
- 4. G.S.R. 222(E) dt. 18-3-2003,
- G.S.R. 532(E) dt. 9-7-2003,
- 6. G.S.R. 880(E) dt. 11-11-2003,
- 7. G.S.R. 881(E) dt. 11-11-2003,
- 8. G.S.R. 750(E) dt. 28-12-2005,
- 9. G.S.R. 222(E) dt. 19-4-2006,
- 10. G.S.R. 223(E) dt. 19-4-2006,
- 11. G.S.R. 760(E) dt. 7-12-2007,
- 12. G.S.R. 577(E) dt. 5-8-2008, and
- 13. G.S.R. 440(E) dt. 23-6-2009.